न्यायालय, उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

राजसात वाद संख्या-118/2022

राज्य

बनाम्

अनिल कुमार वगैरह

—: आदेश :—

10/1/23

वर्तमान वाद की प्रक्रिया जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार के पत्रांक 966/एम0 दिनांक 11.10.2022 एवं पत्रांक 1072/एम0 दिनांक 21.11.2022 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया।

राज्य सरकार की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया।

यह वाद मनिका थाना सन्हा संख्या–05/22 दिनांक 10.10.2022 से संबंधित है। जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा **"The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules 2017"** के नियम 11(v) के आलोक में जप्त 1. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–**JH19C-4103, Eng. No.-RKD2EAN1988, Chassis No-MBNABAEXPKRD07666** एवं 2. महिन्द्रा ट्रैक्टर रंजि0 न0–**JH19B-6422, Eng. No.-NJM45FAE0127, Chassis No-MBNSFAVBEJNM01847** को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया गया है।

विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि जप्त टैक्टर रजि0 नं0–JH19C-4103 के निबंधित स्वामी अनिल कुमार यादव, पिता–श्याम नारायण यादव, ग्राम–सिंजो, पो0+थाना–मनिका, जिला–लातेहार एवं टैक्टर रजि0 नं0–JH19B-6422 के निबंधित स्वामी मिथलेश यादव, पिता–महेन्द्र यादव, ग्राम–सिंजो, पो0+थाना–मनिका, जिला–लातेहार है। दोनों जप्त ट्रैक्टर को चालक द्वारा चलाया जा रहा था। प्रतिपक्षीगण के जीविकोपार्जन का एक मात्र साधन है, वाहन जप्त रहने की स्थिति में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। दोनों प्रतिपक्षीगण का प्रथम एवं अंतिम गलती है, तथा अपनी–अपनी गलती स्वीकार करते हुए छमा याचना करते हैं। प्रतिपक्षी भविष्य में अपने ट्रैक्टर से बालू ढुलाई का कार्य नहीं करेंगे।

राज्य की ओर से जिला खनन पदाधिकारी, लातेहार द्वारा दाखिल दस्तावेज में कहा गया है कि थाना प्रभारी मनिका द्वारा दिनांक 10.10.2022 को दुमुहान स्थित औरंगा नदी से अवैध बालू खनिज का उत्खनन/उठाव कर ट्रैक्टर वाहन में लोड किये जाने संबंधी प्राप्त सूचना के आधार पर उसके रोकथाम हेतु निरीक्षण एवं जांच के क्रम में ग्राम–मनिका के पास दो महिन्द्रा ट्रैक्टर 1. रंजि0 नं0–JH19C-4103 एवं 2. रंजि0 नं0–JH19B-6422 के ट्रॉली में लदे अवैध बालू खजिन का परिवहन करते हुए पाया गया। उक्त दोनों ट्रैक्टर के ट्रॉली में लदे अवैध बालू खनिज सहित वाहन को थाना प्रभारी, मनिका थाना द्वारा जप्त कर मनिका ब्लॉक पिकेट परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया।

दोनों पक्षों के बहस सुनने एवं तथ्यों के समीक्षोपरांत यह स्पष्ट है कि वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है।

अतः जप्त वाहन महिन्द्रा ट्रैक्टर 1. रंजि0 नं0–JH19C-4103 एवं 2. रंजि0 नं0–JH19B-6422 को ट्रॉली सहित निम्नलिखित शर्तों एवं एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार के आधार पर विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है:–

1. उक्त वाहन की प्रकृति वो पहचान बिना न्यायालय के आदेश का बदल नहीं सकेंगे।
2. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
3. वाहन को किसी दूसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
4. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

विपक्षी अपने वाहन के संबंध में उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक–एक लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात 08 सप्ताह के अन्दर दाखिल करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.09.20 16:51:02 +05:30
Location: 192.168.164.143

उपायुक्त,
लातेहार।

उपायुक्त,
लातेहार।